147-

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बालूगंज, शिमला-5 के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2000 से 3/2005 तक

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट आपत्तियों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनेक आपत्तियाँ दीर्घकाल से लम्बित होती आ रही हैं। संस्थाध्यक्ष द्वारा इन्हें निपटाने हेतु ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपत्तियों को शीघ्र निपटाने हेतु मामला निदेशक, शिक्षा विभाग के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 10/58 से 6/59 :-

1 पैरा 4 अनिर्णीत।
2 पैरा 6 (1) अनिर्णीत।
3. पैरा 7 अनिर्णीत।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/59 से 5/60 :-

पैरा 4 (1) अनिर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/60 से 8/61 :-

पैरा 5 (ii) अनिर्णीत।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/61 से 6/62 :-

1 पैरा 4 (2) ✓ अनिर्णीत।
2 पैरा 5 (2) ✓ अनिर्णीत।
3 पैरा 5 (4) ✓ अनिर्णीत।
4 पैरा 5 (6) ✓ अनिर्णीत।
5 पैरा 6 ✓ अनिर्णीत।

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/62 से 3/63 :-

1 पैरा 4 (1) ✓ अनिर्णीत।
2 पैरा 4 (2) ✓ अनिर्णीत।
3 पैरा 5 (क) अनिर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/63 से 3/64 :-

1 पैरा 4 ✓ अनिर्णीत।
2 पैरा 5 ✓ अनिर्णीत।
3. पैरा 6 ✓ अनिर्णीत।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/72 :-

1 पैरा 4 (क) ✓ अनिर्णीत।
2 पैरा 5 ✓ अनिर्णीत।
3 पैरा 6 (ख) व (ग) अनिर्णीत।
4 पैरा 7 ✓ अनिर्णीत।
5. पैरा 8 ✓ अनिर्णीत।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 6/80 :-

1 पैरा 4(ए) अनिर्णीत।
2 पैरा 5 अनिर्णीत।
3 पैरा 6(ए) व (बी) अनिर्णीत।
4 पैरा 7 अनिर्णीत।
5 पैरा 8 अनिर्णीत।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84 :-

1 पैरा 4(ए) अनिर्णीत।
2 पैरा 6(ए) अनिर्णीत।

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/86 :-

1 पैरा 2 अनिर्णीत।
2 पैरा 9(4) अनिर्णीत।

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88 :-

1. पैरा 5 अनिर्णीत।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90 :-

1 पैरा 5 अनिर्णीत।
2 पैरा 8(2)(3) अनिर्णीत।

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/94 :-

1 पैरा 4 अनिर्णीत।
2 पैरा 6 अनिर्णीत।

3. पैरा 7 अनिर्णीत।

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98 :-

1. पैरा 3 समाप्त।
2. पैरा 4(क) समाप्त।
3 पैरा 4(ख) समाप्त।
4 पैरा 5(क) अनिर्णीत।
5 पैरा 5(ख) अनिर्णीत।
6 पैरा 5(ग)(1) अनिर्णीत।
7 पैरा 5(ग)(2) अनिर्णीत।
8 पैरा 6(क) अनिर्णीत।
9 पैरा 6(ख) अनिर्णीत।
10 पैरा 7(क) अनिर्णीत।
11 पैरा 7(ख) अनिर्णीत।
12. पैरा 8 अनिर्णीत।

भाग - 2

2 वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

अवधि 4/2000 से 3/2005 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षा जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री एस.एस. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 19-07-05 से 1-08-05 तक किया गया। आडिट 9/2000, 3/2001, 9/01, 10/01, 5/02, 9/02, 7/03, 10/03, 10/04 व 3/05 को विस्तृत जांच की गई। अनुवर्ती पैरों के दिये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :- अवधि 4/2005(?) से 3/2005 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क रु० 20,000-00 (बीस हजार रु०) बनता है। प्रधानाचार्य को जब राशि बैंकर चैक परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, [illegible] के नाम तैयार करके उन्हें प्रेषित करने हेतु अनुगामी अधिकारी को अंकेक्षण आलेख्य संख्या 162 दिनांक 1-08-05 के द्वारा कहा गया।

4. अग्रिम :- [illegible]

समय-2 पर कर्मचारियों को अग्रिम राशियां प्रदान की जा रही थी परन्तु अग्रिम रजिस्टर तैयार ही नहीं किया गया था। अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने से [illegible] प्रत्येक अग्रिम कर्मचारी [illegible] सुनिश्चित नहीं [illegible] कि प्रदत्त अग्रिम का समायोजन कर

हुआ। आवश्यक रजिस्टर तैयार न किये जाने का कारण स्पष्ट की जाए।

स्पोर्ट्स फण्ड :- (क) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्षों में छात्रों से एकत्रित निधि शुल्क की राशि का 40% भाग उप निदेशक शिक्षा जिला शिमला को भेजा जाना अपेक्षित था। उप निदेशक, शिक्षा को [illegible] पर भेजी गई राशियों की जांच करने पर पाया गया कि जब राशि की जांच करने पर पाया गया कि भेजी गई वर्ष 2001 निर्देशानुसार नहीं भेजी गई 40% भाग अर्थात् 50% भाग व 2004 में 60% भाग से भेजा गया तथा वर्ष 2002 व 2003 में कोई भी राशि नहीं भेजी गई। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कम राशि उप निदेशक को न भेजे जाने का कारण स्पष्ट किया जाए व निम्न विवरणानुसार रु० 404-00 की कम भेजी गई राशि को शीघ्र भेजा जाए। भविष्य में वर्षों की प्राप्त राशि का सही प्रतिशत राशि निर्देशानुसार भेजी जानी भी सुनिश्चित की जाए।

वर्ष	कुल प्राप्ति	40% भाग भेजना था	भेजी गई राशि	कम भेजी गई राशि
2001	5010-00	2004-00	1424-00	580-00
2002	5970-00	2388-00	—	2388-00
2003	10745-00	4298-00	—	4298-00
2004	36260-00	14504-00	21756	(-) 7252-00
			जोड़ :-	404-00

-153-

(ख) रु० 23190-00 की स्टोर अभिलेखों में न पाई गई राशि:-

वर्ष 2001 व 2004 में उपनिदेशक शिक्षा, जिला शिमला के पत्र संख्या 37/शिक्षा-बालूगंज/2001 दिनांक 30-10-01 व पत्र संख्या 386-399 तथा 112-115 दिनांक 31-03-05 के द्वारा (1434 + 7959 + 13797) 23190-00 के स्टोर भेजे गए परन्तु रु 23190-00 के स्टोर सम्बन्धित कार्यालय को प्राप्त नहीं की गई। आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) रु० 499-00 का अनियमित व्यय:-

वाउचर संख्या 7 दिनांक 16-10-01 के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार का सामान रु 499-00 का मैं० जीवन पाल मैडीकल स्टोर बालूगंज से बिल संख्या 1385 दिनांक 15-10-01 के द्वारा क्रय किया गया। किया गया व्यय उक्त निविदा पर बैध प्रमाण नहीं था। रु० 499-00 की वसूली उचित स्रोत से करके सरकारी जमा करवाई जाए।

(ख) रोकड़ बही की जाँच।
करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-01 को
अन्त शेष 1425-70 रु० दर्शाया गया। जाँच
करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-01
को अन्त शेष 8060-15 रु० बनता था जो कि
634-45 रु० से कम था। इसके अतिरिक्त [illegible]
प्राप्त हुआ जो वर्ष 99-2000 का ब्याज 180-55
रु० किया जाना था, जो कि रोकड़ बही में दर्ज ही
नहीं किया गया। अतः रोकड़ बही के अन्त शेष में
815-00 रु० का अन्तर था। दिनांक 31-03-01
को रोकड़ बही संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
भी नहीं की गई थी। रोकड़ बही उचित प्रकार से
न लिखे जाने व सही बकाया राशि अंकित
न करने की स्थिति स्पष्ट करते हुए
सम्बन्धित कर्मचारी से 815-00 रु० की
वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।
भविष्य में रोकड़ बही का लेखांकन
उचित प्रकार से नियमानुसार किया
जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) स्टोर्स [illegible] व स्टॉक रजिस्टर
[illegible] का वर्ष वार [illegible]
कार्यालय के [illegible] का स्पष्ट लेखा अभिलेख
तैयार नहीं किया जा रहा है। उक्त [illegible]
[illegible] तैयार किया जाए ताकि सम्बन्धित
कार्यालय [illegible] स्पष्ट हो सके।

6. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड :- स्पोर्ट्स निधि का संचालन बिना हि०प्र० सरकार के निर्देशों के रु० 25760-00 की वसूली अनुचित रूप से करना।

उक्त निधि का एक त्रीकरण जिला शिक्षा अधिकारी के ज्ञापन हरूंगा शिमला पी० ई० एस (स्पोर्ट्स) 8/2001-2002-27740 दिनांक 5-7-2001 जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जारी निर्देशों के अनुसार वसूली का 60% भाग जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिमला को भेजा जाना था तथा प्रति छात्र 10-00 प्रतिवर्ष की दर से राशि एकत्रित की जानी थी। परन्तु हि० प्र० सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार की कोई भी निधि का संचालन नहीं किया जाना था। यह निधि हि०प्र० सरकार के किन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एकत्रित की जा रही है अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। अंकेक्षण अवधि में संग्रहित राशि का विवरण निम्न वर्णित है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही निधि के संचालन पाठशालाओं में करवाये जाते हैं इस वांछित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु निदेशक शिक्षा विभाग हि०प्र० के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

वर्ष	प्राप्ति	व्यय
2001-02	7940-00	2546-00
2002-03	6250-00	68-00
2003-04	5940-00	—
2004-05	5630-00	—
	25760-00	2614-00

7. मिश्रित निधि :- (क) मिश्रित निधि से निम्न विवरणानुसार रु० 8528-00 का सामान कार्यालय प्रयोग हेतु क्रय किया गया। किया गया व्यय स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी प्रकार नहीं था। रु 8528-00 के किए गए अनियमित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक वसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

वाउचर संख्या/दिनांक	फर्म का नाम व बिल/दिनांक	सामान का विवरण	मूल्य रु०
10 / 17-10-01	मैं० मलहोत्रा मार्केटिंग कं० बिल 7821 दि० 17-10-01	स्टील लाकर 8 नं० बोड 8 कैबिन	4368-00
358 / 17-10-01	उपरोक्त बिल संख्या 7828 दि० 17-10-01	स्टील अलमारी बोड 4 ...	4160-00
		योग :-	8528-00

(ख) मिश्रित निधि से समस्त अतिरिक्त राशि का ग्रामीण विकास प्राधिकरण को लौटाने हेतु दिया गया अग्रिम का समायोजन कब किया गया का रोकड़ बही में कोई इन्द्राज नहीं किया जा रहा था तथा न ही अग्रिम रजिस्टर में उसकी प्रविष्टियाँ की जा रही थी। इसके अतिरिक्त अग्रिम राशि के समायोजन लेखा का भी रोकड़ बही में नहीं दर्शाया जा रहा था। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समायोजन लेखा को भविष्य में नियमानुसार ... की जाए।

157

8 परीक्षा निधि :-

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि रूपये
78	21.12.03	40320
109	22.12.04	42520

मैं० पदमश्रीती प्रैस के बिल सं० 246 दिनांक शून्य व बिलदिनांक 132 दिनांक 15.12.04 के द्वारा प्राप्त प्रश्न-पत्र व उत्तर पुस्तिकाओं हेतु क्रमश: 40320 रू० व 40820 रू० का भुगतान किया गया। किये गए व्यय पर निम्न वर्णित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

1. उपरोक्त वाउचरों द्वारा 8 पृष्ठों की 2910 उत्तर पुस्तिकाएं व 4 पृष्ठ की 6000 उत्तर पुस्तिकाएं 45320 रू० में क्रय की गई। किन्तु यह क्रय बिना निविदाएं आमंत्रित किये सीधे खुले बाजार से एक ही फर्म से किया गया जिसके परिणाम स्वरूप बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा। बिना निविदाओं के यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि की गई खरीद न्यूनतम दरों पर ही की गई है। खरीद के पूर्व आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने और स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. उत्तर पुस्तिकाओं के स्टाक लेखा की जांच करने पर

व 20-12-04

पाया गया कि दिनांक 10.12.03 को आठ पृष्ठ की 33000 प्रतियाँ व 5 पृष्ठ की [illegible] प्रतियाँ 54630 नम्बर परीक्षा पुस्तिकाएँ [illegible] दर्शा कर प्रयोग कर ली गई। परन्तु परीक्षा के बाद वास्तविक प्रयोग का कोई विवरण अभिलेख में नहीं पाया गया। वास्तविक स्टाक विवरण तैयार न किये जाने व स्टाक में खपत तदनुसार ही न दर्शाए जाने बाबत स्थिति स्पष्ट की जाए व स्टाक विवरण तैयार करके लेखों को आवश्यक दुरुस्त किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

3. उपरोक्त वर्णित कार्यों द्वारा प्रश्न पत्रों की छपवाई हेतु 5400.00 का भुगतान किया गया परन्तु प्रश्न पत्रों की स्टाक प्रविष्टियाँ अभिलेख में नहीं की गई। बिना स्टाक प्रविष्टियों के, जिससे प्रश्न पत्रों की प्राप्ति स्पष्ट होती है, [illegible] कि भुगतान कर दिये जाने बाबत स्थिति स्पष्ट की जाए। [illegible] पर छपवाये गये प्रश्न पत्रों का स्टाक लेखा तैयार किया जाए।

9 पहचान पत्र निर्गम :-

आडिट संख्या 12

बिल नं० 5-9-03 के द्वारा श्री परम प्रिंटिंग प्रैस, अर्की से 1000 नग पहचान पत्र क्रय किये गए। खरीदे गए पहचान पत्र, स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ ऊपर अंकित थे। स्टाक लेखा की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2003 व 2004 में पहचान पत्रों की खपत 519 (317+202) दर्शा कर अन्त शेष निकाला गया। परन्तु दर्शाई गई खपत के बारे में सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख (यात्रीवार प्राप्ति लेखा) तैयार नहीं किया गया। पहचान पत्र वितरण अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में आवश्यक वितरण अभिलेख तैयार करके स्टाक लेखा से उपभोग प्रविष्टी तदानुसार दी जानी सुनिश्चित की जाए।

10 स्टूडेन्ट फंड आदि के लेखे :-

(क) रु० 11740.00 की राशि कार्यालय में न पाया जाना :-

माह 3/2005 में रु० 6058.00 व 5682.00 रु० की राशि उप निदेशक शिक्षा, जिला शिमला शिमला-2 को वर्ष 2004 में एकत्रित राशि के 50% भाग के रूप में भेजी गई। परन्तु प्राप्ति रसीद कार्यालय की पावती रसीद कार्यालय में नहीं पाई गई। आवश्यक रसीद सम्बन्धित कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ख) रु० 6758.00 रु० की राशि उप निदेशक कार्यालय को न भेजा जाना :-

सरकार द्वारा जारी [illegible] की गई दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष में एकत्रित राशि का 50% भाग उप निदेशक शिक्षा जिला शिमला को भेजा जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राशि उप निदेशक शिक्षा को नहीं भेजी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000 से 2004 तक रु० 6758.00 रु० की राशि उप निदेशक कार्यालय को नहीं भेजी गई

निराकरण विवरण स्पष्ट करते हुए रु. 4752/- रु की राशि उक्त व्यक्तियों से वसूली जाए। व भविष्य में प्रत्येक वर्ष राशि नियमानुसार भेजी जाती रहे सुनिश्चित की जाए।

	कुल प्राप्ति	50% भाग जो भेजना आवश्यक	भेजी गई राशि	कम भेजी गई राशि
0	5035/-	2517/-	2935/-	(-) 418/-
1	1813/-	906/-	—	906/-
2	2460/-	1230/-	—	1230/-
3	1999/-	999/-	—	999/-
4	27550/-	13775/-	11740/-	2035/-
			योग :-	4752/-

(ग) रोकड़ बही नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं लिखी गई है तथा तलपट व आय व्यय पत्रक की प्रतिलिपियाँ संलग्न! स्पष्ट रहता है पूर्ण विवरण अंकित करते हुए बही जाती सुनिश्चित की जाए।

11. चिकित्सा निधि व रैडक्रास निधि:-

(क) दिनांक 31-03-15 को चिकित्सा निधि का अन्त शेष 54092.10 रु दर्शाया गया जबकि रोकड़ बही अनुसार योग 54102-50 रु बनता है। माह 7/14 में 105-40 रु की राशि को बैंक से प्राप्त करवाने के कारण इस राशि को अनियमित रूप से घटा दिया गया। यदि कोई गलती नहीं है तो रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए व 105-40 रु की राशि की वसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

(ख) चिकित्सा निधि व रैडक्रास निधि की शुल्क राशि को दिनांक 12-04-2011 से स्थानान्तरित होने वाली निधियों के खाते में खोलते हुए नहीं खोला जा रहा परन्तु निधियों की रोकड़ बहियों को बन्द करके अन्त शेष को सम्बंधित निधि में जमा नहीं करवाया गया है। उक्त निधियों की रोकड़ बहियों को बन्द करके वर्तमान में पाए गए अन्त शेष को सम्बंधित निधि में जमा करवाया जाए।

क्रम संख्या	निधि का नाम	दिनांक 31-03-15 को रोकड़ बही में अन्त शेष
1	रैड क्रास निधि	31509.78
2	चिकित्सा निधि	54092.10
	योग:	85601-88

12 प्राप्तियों का बैंक खातों में देरी से जमा करवाया जाना।

प्राप्तियों का बैंक खातों से मिलान पर पाया गया अवधि 10/03 से 3/04 तक का +1 व +2 का शुल्क देरी से बैंक में जमा करवाया गया और राशि हस्तगत रखी गयी है। प्राप्तियों व जमा का तिथिवार ब्यौरा निम्नलिखित है। यह रोकड़ का लघु अवधि के लिए दुर्विनियोजन है। इस बाबत स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दोषी कर्मचारी से ब्याज की हुई हानि का देयक ब्याज सहित, नियमानुसार प्रतिपूर्ति कर विद्यालय निधि में जमा करवायी जाए और भविष्य में इस अनियमितता को न दोहराया जाए।

दिनांक	हस्तगत शेष (रु.)	प्राप्तियां (रु.)	जमा (रु.)	हस्तगत शेष रु.
16.10.03	—	4740/-	—	4,740/-
17.10.03	4740/-	4650/-	—	9,390/-
18.10.03	9,390/-	7470/-	—	16,860/-
20.10.03	16,860/-	3540/-		20400/-
21.10.03	20,400/-	6210/-	—	26610/-
22.10.03	26,610/-	2610/-		29220/-
23.10.03	29220/-	2730/-	—	31950/-
27.10.03	31,950/-	390/-	—	32,340/-
28.10.03	32340/-	2640/-	—	34980/-
29.10.03	34,980/-	2370/-	—	37350/-
31.10.03	37350/-	2370/-	—	39,720/-
05.11.03	39720/-	2370/-	—	42090/-
06.11.03	42090/-	690/-	—	42780
11.11.03	42780/-	—	31950/-	10830/-
14.11.03, 3/12/03	10830/-	1200/-	—	12030/-
12.12.03	12030/-	—	12030/-	शून्य

13 रु० 475/- रु० की आय का दुर्विनियोजन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, +1 के छात्र स्वेच्छा राजा, रोल नं० 1186 से दिनांक 25.07.03 को रसीद नं० 2257 के माध्यम से 235/- रु० बतौर (नोट्स ...) शुल्क प्राप्त हुए परंतु इस शुल्क एकत्रीकरण पंजी में दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह इसी छात्र से अवधि 10/03 से 3/04 तक का शुल्क रु० 240/- रसीद नं० 2460 दिनांक (नोट्स ...) एकत्रित किए गए परंतु इस रसीद को शुल्क लिपिक द्वारा अपने स्तर पर रद्द कर दिया गया, और न ही इसकी मूल प्रति रिकार्ड में उपलब्ध थी और न ही किसी और रसीद के माध्यम से यह शुल्क प्रविष्टि रिकार्ड में दर्ज है दर्शायी गयी। इस तरह रु० 240/- रु. दुर्विनियोजित हुए प्रतीत होते हैं और कुल मिलाकर रु० 475/- रु. दुर्विनियोजित हुए प्रतीत होते हैं जिसकी शीघ्र अतिशीघ्र दोषी कर्मचारी से प्रतिपूर्ति कर विद्यालय निधि खाते में जमा करवाया जाए।

रसीद नं०

	2460	2257		2257
ट्यूशन शुल्क	90	45	परीक्षा निधि	20
निर्माण निधि	60	30	खेल निधि	15
भवन निधि	60	30	खेल विकास निधि	10
शारीरिक शिक्षा निधि	30	15	फर्नीचर निधि	5
पुस्तकालय प्रतिभूति	—	30	सांस्कृतिक कार्यक्रम निधि	5
मैगज़ीन निधि	—	15		
पहचान पत्र निधि	—	5		
स्काउट व गाइड	—	5		
	240	175		235

14 विलम्ब शुल्क (+1व+2)

(क) रु 1,470/- रु का अनाधिकृत एकत्रीकरण

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिसूचना सं 6/03 की +1व+2 के नियमित एकत्रीकरण के दौरान दिनांक 06.05.03 से 24.07.03 तक रसीद सं 1786 से 2108 तक विलम्ब शुल्क 35/- रु प्रति छात्र की दर से रु 5145/- रु एकत्रित कर लिए गए जबकि मात्र 25/- रु की दर से एकत्रित किए जाने अपेक्षित थे और रु 3675/- रु ही देय थे। इस तरह रु 1,470/- रु अनाधिकृत रूप से एकत्रित किए गए जो कि जहाँ एक ओर नियमों के विरुद्ध है वहीं छात्रों पर एक अतिरिक्त भार है। अतः शुल्क एकत्रीकरण के समय विशेष सावधानी बरती जाए और नियमानुसार देय राशि ही एकत्रित की जाए। इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए

(ख) रु 105/- रु का कम एकत्रीकरण

विलम्ब शुल्क के मासिक संकलित अभिलेख की जाँच पर पाया गया

गई है जो 105/-रु. का कम समायोजन हुआ है जिसका छात्रवार ब्यौरा निम्न वर्णित है

दिनांक	रसीद क्र०	छात्र का नाम	प्राप्त विलम्ब शुल्क रा.	देय राशि रु.	कम प्राप्त राशि रु.
28.11.03	2730	बलराज	25/-	20/-	5/-
"	2731	पंकज	25/-	20/-	5/-
"	2732	विरेन्द्र	25/-	20/-	5/-
03.12.03	2733	विनीत	25/-	20/-	5/-
"	2734	अमित	25/-	20/-	5/-
"	2735	अनूप	25/-	20/-	5/-
10.12.03	2736	संदीप	25/-	20/-	5/-
			25/-	-	25/-
05.10.04	3812	दीपक	25/-	20/-	5/-
05.10.04	3813	ओम प्रकाश	25/-	20/-	5/-
"	3814	अनिल कुमार	25/-	20/-	5/-
"	3815	राकेश कुमार	25/-	20/-	5/-
01.11.04	4056	विनय	25/-	20/-	5/-
02.11.04	4057	अजय	25/-	20/-	5/-
"	4058	हरिश	25/-	20/-	5/-
04.11.04	4059	अजय	25/-	20/-	5/-
"	4060	राहुल	25/-	20/-	5/-
08.11.04	4061	मोहित	25/-	20/-	5/-
		कुल योग	425/-	320/-	105/-

उपरोक्त राशि की दोषी कर्मचारी से प्रतिपूर्ति करा राजकोष में जमा करवाया जाए।

15(क) अनुपस्थिति दंड शुल्क :- रु० 155/- रु का दुर्विनियोजन +1व+2

अनुपस्थिति दंड शुल्क के प्राप्ति संबंधित अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि माह 03/05 में रसीद सं० 4062 से अतुल ठाकुर रोल नं० 315 से 89/रु अनुपस्थिति शुल्क एकत्रित किए गए परन्तु यह रोकड़ बही/शुल्क एकत्रिकरण पंजी में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त माह 03/05 में ही रसीद सं० 4063 से 4307 के माध्यम से रु० 10723/-रु अनुपस्थिति शुल्क के एकत्रित किए गए परन्तु जोड़ की गलती के कारण केवल 10657/-रु ही शुल्क एकत्रिकरण पंजी व रोकड़ बही में दर्ज किए गए। इस तरह रु० 66/- रु कम दर्ज किए गए। और कुल मिलाकर रु० 155/-रु दुर्विनियोजित हुए हैं जिसकी प्रतिपूर्ति दोषी कर्मचारी से शीघ्र अतिशीघ्र कर अनुपस्थिति शुल्क निधि में जमा करवाया जाए।

(ख) संगीत निधि, रु० 130/- रु का कम एकत्रिकरण +1व+2

संगीत निधि के प्राप्ति के अभिलेख का संगीत कक्षा के उपस्थिति पंजी से मिलान पर पाया गया कि अतिरिक्त

नगर अनुसार संगीत निधि के रूपये 120/-रु. नगद एकत्रित किए गए है जिसे दोषी व्यक्ति से प्रतिपूर्ति कर संगीत निधि में शीघ्र अतिशीघ्र जमा करवाया जाए।-

माह	अवधि जिसकी निधि एकत्रित हुई	छात्रों की सं० +1 +2 = कुल	एकत्रित राशि @ रु.	देय राशि @30/-रु.	कम एकत्रित राशि
10/2001	10/01 से 03/02 तक	[illegible] 6 = 27	780/-	810/-	30/-
10/2004	10/04 से 03/05 तक	13 19 = 32	870/-	960/-	90/-
	कुल योग =		1650/-	1770/-	120/-

(ग) अपरिहार्य पंजियों का प्रस्तुत न किया जाना संबंधी

6 से 12वीं कक्षा तक के प्राप्त संलग्नित अभिलेखों में कक्षा 10वीं की का माह 9/2000 तथा 9वीं की व 7वीं ए के माह 3/01, 9/01 व 10/01 की अपरिहार्य पंजियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप वास्तविक प्राप्ति का सत्यापन संभव न हो सका। इन पंजियों को ढूंढा जाए तथा आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(घ) कोषागार से निकासिका लेकर वास्तविक जमा का मिलान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सरकारी कोषागार में जमा राशि का सत्यापन कोषागार से निकासिका लेकर नहीं किया जा रहा है जिससे वास्तविक जमा की प्रविष्टि संदेहास्पद हो जाती है, अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि तत्काल पर कोषागार निकासिका की जांच और वास्तविक जमा का सत्यापन हर वर्ष किया जाए।

16. रसीदों के संबंध में आपत्तियां व सुझाव

रसीदों की जाँच पर पाया गया कि इनसे संबन्धित स्टॉक अभिलेख व इनका प्रयोग उचित तरीके से नहीं बनाया जा रहा / हो रहा है। इस संबंध में निम्न आपत्तियां व सुझाव अपेक्षित है।—

(क) रसीदों के स्टॉक लेखा की जाँच पर पाया गया कि रसीदों की निर्गमन की प्राप्ति प्राप्तकर्ता से रिकार्ड नहीं करवायी जा रही है और न ही रसीद बुक के प्रयुक्त हो जाने के उपरांत वापसी की प्रविष्टि ही स्टॉक लेखा में की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमतता है और किसी रसीद बुक के गायब हो जाने की जाने की स्थिति में दायित्व निर्धारण में दिक्कत हो सकती और दुर्विनियोजन की भी पूरी-पूरी संभावना है। भविष्य में निर्गमन व प्रयोग उपरांत वापसी की अभिलेख में प्रविष्टियां अवश्य की जाए।

(ख) रसीदों की जाँच पर पाया गया कि रसीदें तिथिवार नहीं काटी गई है। उदाहरण के लिए रसीद सं० 150 से 158 दिनांक 11.06.02 से 14.06.02 को काटी गई है जबकि इसके बाद के क्रम की रसीदें सं० 159 से 176 की रसीदें दिनांक 22.05.02 को काटी

गई है। इसी तरह क्र० 7717 से 7718 की रसीदें 17 व 18.06.02 को काटी गई जबकि 7180 से 7186 के क्रमांक वाली रसीदें 10.06.02 को काटी गई है। यद्यपि इन सब रसीदों में विलम्ब शुल्क प्राप्त किया गया है। फिर यह एक गंभीर अनियमितता है जिसे भविष्य में न दोहराने की सलाह दी जाती है।

(ii) इंस्पेक्शन की दौरान यह भी पाया गया कि रसीदें बिना तिथि रिकार्ड किए काटी जा रही है। रसीद क्र० 3946 से 4043, 4101 से 4346 बिना दिनांक दर्ज किए काटी गई है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के लिए वास्तविक तिथि का कोई पता नहीं रह जाता और विलम्ब शुल्क का सही कैलकुलेशन संपादित नहीं हो सकता है और कम कैलकुलेशन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) रसीद क्र० 3816 अनुपयुक्त पड़ी है। इसे प्रधानाचार्य से रद्द करवाया जाए ताकि दुरुपयोग की संभावना न रहे। भविष्य में सभी रसीदों का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) रसीदों की जाँच पर पाया गया कि कई बार रसीद में विभिन्न राशियों का ब्यौरा न देकर एकमुश्त राशि ही रिकार्ड कर दी जाती है जो कि एक गलत प्रक्रिया है और गलत जोड़ने की स्थिति एवं कैलकुलेशन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

17) विभिन्न योजनाओं के संबंध में आपत्तियां व सुझाव

(क) रोकड़ बही

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पाठशाला द्वारा हर एक निधि के लिए एक अलग रोकड़ बही प्रयोग में लाई जा रही है और हर एक निधि का अलग बैंक खाता भी रखा जा रहा है। अंकेक्षण का सुझाव है कि इसके बजाय एक "मल्टी कॉलम रोकड़ बही निधिवार" प्रयोग में लाई जाए जिसमें हर एक निधि के प्राप्ति व व्यय के लिए अलग 2 कॉलम आवंटित किए जाएं और दोनों ओर कुल योग का भी कॉलम बनाया जाए ताकि किसी दिन पर बैंक में मौजूद व हस्तगत राशि निकाली जा सके। बैंक में हर एक निधि के लिए अलग खाते के स्थान पर सभी निधियों का एक जॉइंट अकाउंट रखा जाए और ब्याज की राशि को आनुपातिक रूप से सब निधियों में बांट दिया जाए। इससे जहां स्टेशनरी की बचत होगी वहीं अभिलेख बनाने व संभालने में भी समय की काफी बचत होगी।

(ख) शुल्क एकत्रीकरण पंजी

शुल्क एकत्रीकरण पंजी की जाँच पर पाया गया कि इसमें रसीद से तो प्रविष्टि की जाती है परंतु रसीद की तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है और नहीं तिथिवार एकत्रीकरण का जोड़ पंजी में दिखाया जाता है। इस तरह एकत्रित राशि समय पर बैंक में जमा हो रही है या [illegible] संभव न हो सका चूंकि कई रसीदों में भी दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था। भविष्य में इस अनियमितता को न दोहराया जाए। इसके अलावा सरकारी *

* कोष में चालान से शुल्क जमा करवाने पर चालान का संदर्भ अवश्य प्रविष्ट किया जाए।

(ग) अग्रिम पंजी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पाठशाला द्वारा विभिन्न तिथियों में विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम दिए गए हैं परंतु इस संबंध में अग्रिम पंजी नहीं बनायी गयी है और अग्रिम के समायोजन तिथि का रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण का सुझाव है कि अग्रिम पंजी बनायी जाए जिसमें अग्रिम लेने वाले, किसको, किस कार्य के लिए, कितना व किस तिथि को दिया गया, अंकित [illegible] दर्शाया जाए और प्रत्येक अग्रिम के समायोजन की तिथि एवं अग्रिम की

प्रविष्टि के सामने वाले कालम में दर्ज की जाए जिसमें समायोजन कब, कितनी राशि का हुआ का उल्लेख किया जाए और शीघ्र देय समय व समायोजन पर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन करवाया जाए तथा समायोजन पर रोकड़ बही में प्रविष्टि करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सभी लेखा पंजियों में वांछित प्रमाण पत्र दर्ज न होना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लेखा पंजियों में प्रधानाचार्य द्वारा पृष्ठ गणना प्रमाण पत्र तथा पंजी का स्टॉक पंजी से निर्गमन का संदर्भ रिकार्ड नहीं किया जा रहा है जो कि नियमानुसार नितान्त आवश्यक है और पाठशाला के पास प्रचलन में मौजूद पंजियों की पुष्टि करता है। अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रयोग में आ रही सभी पंजियों का स्टॉक तैयार किया जाए और नई प्रयोग में लाई जाने वाली पंजियां उसमें क्रम-२ पर जोड़ दी जाएं ताकि एक ही स्थान पर इस सन्दर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

18 लघु आपत्ति विवरण :- पृथक अलग से जारी नहीं की गई।

19 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

ह0/-
अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग,
हि0प्र0 शिमला-2

-3771

23 SEP 2005

पृष्ठांकन संख्या 203-206 दिनांक 22.9.05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला [illegible] तहसील व जिला शिमला हि0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस लेखा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अनुपालना उत्तर इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-1
3. उप शिक्षा निदेशक, जिला शिमला, शिमला-2
4. परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-9

अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हि0प्र0 शिमला-9